कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 3037 / FP/UK/ROAD/147686/2021 देहरादूनः दिनांकः 20 जून, 2022

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद– हरिद्वार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली–सहारनपुर–देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम–हरगोवा) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग–334 के वहादराबाद बाईपास (ग्राम–आतमलपुर–बौंगला तक 6 लेन अमिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राजय में भारतमाला परियोजना अन्तर्गत विकास के कि0मी0 19.060 से कि0मी0 50.700 तक राजमार्ग निर्माण हेतु 1.6535 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/147686/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, रूड़की द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.6535 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग / प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार एवं वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव पर **प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय से पत्रावली पर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त,** ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/ROAD/147686/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक / गढवाल, पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रस्ताव की एक फोटो प्रति अपने नियंत्राधीन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर, समय–समय पर प्रकरण की समीक्षा करते रहा जायें।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–टिहरी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार ।
7. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, रूड़की।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17—	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा पत्रावली पर सहमति के पश्चात प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर :

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

तिथि : 20-06-2022

स्थान : देहरादून